

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, नावाडीह (बोकारो)।

अनुसूची 14 फारम सं0 562

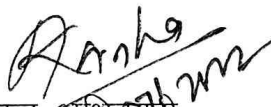
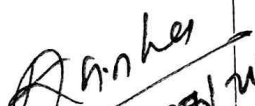
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..... से..... तक

जिला- बोकारो वाद संख्या.....16.. / 2022-23

केस का प्रकार.....

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
27/07/22	प्रबंधक <u>B.O.I. नावाडीह</u> शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार <u>खिरी धार साव</u> पिता- <u>रा. विनय साव राम- वंशी पं. नारायणपुर</u> थाना- <u>चं. नारायणपुर</u> जिला- <u>बोकारो</u>..... जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि <u>17693=00</u>..... की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रुपये..... कुल..... रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक माँग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें। देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करावें। अभिलेख दिनांक <u>03/08/22</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त देनदार अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक <u>10/02/23</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

03/08/22

10/2/23

अभिलेख अपरचापित
पक्ष अनुपरिचय, पक्ष को उपरिचय
होने के लिए नोटिस निर्गत है।
अभिलेख दिनांक 03/03/23 को अपरचापित
करे।

300 300

3/3/23 अभिलेख उपरचापित
पक्ष अनुपरिचय, पक्ष को उपरिचय होने
के लिए नोटिस निर्गत है।
अभिलेख दिनांक 24/3/23 को उपरचापित करें।

24/3/23 अभिलेख उपरचापित
पक्ष अनुपरिचय, उभय पक्ष को उपरिचय
होने के लिए नोटिस निर्गत है।
अभिलेख दिनांक 19/05/23 को उपरचापित करें।

300 300

19/5/23 अभिलेख उपरचापित
उभय पक्ष उपरिचय / द्वितीय पक्ष अनुपरिचय, पक्ष
को उपरिचय होने के लिए नोटिस निर्गत है।
अभिलेख दिनांक 24/06/23 को उपरचापित करें।

300 300

27/06/23

अभिलेख उपस्थापित

देनदार पत्र के द्वारा बैंक बकाया राशि
का NOC प्रस्तुत किया. बैंक से
सुचना प्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 11/07/23 को उपस्थापित करें।


11/07/23
अं. 300

11/07/23

अभिलेख उपस्थापित

बैंक ऑफ़ इंडिया गावाडीह ने सुचना
प्राप्त कर किया गया। वाद की कार्यवाही
समाप्त किया जाता है।


11/07/23
अं. 300